सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(8903)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/19/07815/2022 जयपुर, दिनांक : 21/11/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विजय कुमार मीना, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा **RAJASTHAN UNIVERSITY, JAIPUR** से मास्टर इन आर्ट्स (पॉलिटिकल साइंस) अंतिम वर्ष में अध्ययन हेतु **स्वंयपाठी माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है।** उक्त हेतु **श्री विजय कुमार मीना**, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री विजय कुमार मीना, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय
21/11/2022
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी